भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *194

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं

***194. श्री धर्मेन्द्र यादवः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों को प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य सहायता योजनाओं के अंतर्गत उक्त समुदायों को राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितना लाभ प्राप्त हुआ है और इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में क्षेत्रीय/सामाजिक असमानताओं को दूर करने और इन समुदायों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कोई विशिष्ट बजट आबंटन/उप-योजना का कार्यान्वयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो देश में दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई विशिष्ट निगरानी प्रणालियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 12.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत योजनाएँ, स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों सहित सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवा की उपलब्धता, किफायती और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करती हैं।

i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम): एनएचएम के अंतर्गत चलाई जाने वाली विभिन्न पहलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का संचालन, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशाकर्मियों की नियुक्ति, 24x7 सेवाएं और प्राथमिक रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, मुफ्त निदान सेवा पहल और मुफ्त दवा सेवा पहल, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप, एनीमिया मुक्त भारत कार्यनीति, टीबी मुक्त भारत अभियान और सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

आदिवासियों की स्वास्थ्य परिचर्या के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएससीईएम), प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) जैसे विशेष कार्यक्रम हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक केंद्र द्वारा जारी निधि (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी-वार) का राज्य-वार विवरण अनुबंध - I में है।

ii) आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) भारत की 40% आबादी के निचले तबके के 12 करोड़ परिवारों को लाभ पहुँचाती है और मध्यम और विशिष्ट स्तर के अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) सहित विभिन्न डेटाबेस के आधार पर की जाती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को वंचितता मानदंडों में से एक माना गया है। तदनुसार, 15 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार, एबी-पीएमजेएवाई के तहत अनुसूचित जाति के लिए 1.98 करोड़ आयुष्मान कार्ड और अनुसूचित जनजाति के लिए 0.97 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। मार्च 2024 में इस योजना में आशाकर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के 37.14 लाख परिवारों को शामिल किया गया था। अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार किया गया और इसमें सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखे बिना 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जनवरी 2024 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों को एबी-पीएमजेएवाई के दायरे में शामिल करने के लिए सहयोग किया। दिनांक 6 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार, इस श्रेणी के तहत 13.33 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए थे (राज्यवार आयुष्मान कार्ड जारी करने और योजना के तहत प्राप्त उपचार का विवरण https://dashboard.nha.gov.in/public/ पर देखा जा सकता है)।

iii) स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन का उद्देश्य शहरी/ग्रामीण अंतर को कम करना, चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और अल्पसेवित क्षेत्रों में वहनीय स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराना है। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत "मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना" के लिए 157 नए मेडिकल कॉलेजों को उन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों/जिलों में मंजूरी दी गई है, जहां सरकारी या निजी क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं है। इनमें से 40 कॉलेजों को आकांक्षी जिलों में और 38 कॉलेजों को आदिवासी क्षेत्रों में मंजूरी दी गई है। राज्यवार विवरण अनुबंध - II में दिया गया है।

देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन की योजना के तहत, 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 83 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5972.20 करोड़ रुपये की कुल लागत से 4977 एमबीबीएस सीटें बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, 'राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ और उन्नत बनाने, नए स्नातकोत्तर विषयों को शुरू करने और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत 8058 सीटों की मंजूरी दी गई है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) और अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के बजट और व्यय को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध - III और IV में दिया गया है।

सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है और लोगों को मिलने वाले व्यापक स्वास्थ्य लाभों के संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता और परिणामों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

*****

अनुबंध- I

एनएचएम के तहत वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक राज्य-वार केन्द्र से जारी धनराशि (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी-वार) दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2	आंध्र प्रदेश	516.54	130.16	277.37	76.50	304.79	88.37
3	अरुणाचल प्रदेश	0.10	124.85	0.00	172.99	0.97	113.07
4	असम	141.28	262.34	213.56	169.84	458.98	159.66
5	बिहार	465.64	30.39	418.39	24.50	389.82	35.74
6	छत्तीसगढ़	343.26	311.13	118.33	256.28	141.76	307.03
7	दिल्ली	4.50	0.00	15.15	0.00	54.61	0.00
8	गोवा	7.49	3.88	6.46	2.90	2.54	7.08
9	गुजरात	334.34	128.10	208.52	226.41	103.09	201.92
10	हरियाणा	110.44	0.00	127.29	0.00	113.31	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	232.56	58.55	123.62	32.88	142.25	43.00
12	जम्मू और कश्मीर	41.69	14.45	114.88	47.78	100.96	49.08
13	झारखंड	120.05	212.29	117.52	165.04	159.96	253.05
14	कर्नाटक	380.55	103.40	195.29	70.55	237.29	132.79
15	केरल	423.36	46.64	23.15	3.16	296.88	103.49
16	मध्य प्रदेश	762.79	429.36	487.09	293.60	429.06	572.98
17	महाराष्ट्र	442.05	321.66	483.03	277.31	330.70	234.18
18	मणिपुर	2.07	18.74	44.23	30.32	38.69	33.49
19	मेघालय	43.60	134.56	51.48	141.61	92.85	33.57
20	मिजोरम	0.30	67.37	34.43	63.34	24.29	30.33
21	नागालैंड	0.00	49.68	0.00	112.32	0.12	91.93
22	ओडिशा	246.55	454.37	268.77	316.26	378.99	472.97
23	पुदुचेरी	3.46	0.00	9.55	0.00	4.32	0.00
24	पंजाब	147.39	0.00	25.88	0.00	347.51	5.71
25	राजस्थान	356.37	142.88	739.28	232.87	453.33	324.85
26	सिक्किम	3.39	22.30	12.65	16.43	10.29	13.48
27	तमिलनाडु	272.40	15.81	481.62	90.58	370.37	27.09
28	त्रिपुरा	48.27	54.48	31.90	54.77	46.25	43.02
29	उत्तर प्रदेश	1,165.86	187.84	1,315.20	189.84	1,641.68	40.84
30	उत्तराखंड	127.16	20.43	161.15	38.54	143.32	74.42
31	पश्चिम बंगाल	313.33	75.21	247.01	50.88	218.56	30.75
32	तेलंगाना	99.89	50.87	119.77	41.38	197.65	93.25

नोट: ऊपर दी गई धनराशि केंद्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं और इसमें राज्य का हिस्सा शामिल नहीं है।

<u>अनुबंध</u> – II

<u>नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का राज्यवार विवरण</u>

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	**आकांक्षी ज़िले**	**जनजातीय जिले**
आंध्र प्रदेश	पडेरू	-
अरुणाचल प्रदेश	-	पापुम पारे
असम	धुबरी	कोकराझार
बिहार	जमुई, पूर्णिया, सीतामढ़ी	जमुई
छत्तीसगढ़	कांकेर, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव	सरगुजा, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव
गुजरात	नर्मदा	नर्मदा, नवसारी, पंचमहल
हिमाचल प्रदेश	चंबा	चंबा
जम्मू और कश्मीर	बारामूला, कुपवाड़ा	राजौरी
झारखंड	दुमका, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू	दुमका, पलामू, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम
कर्नाटक	यादगीर	-
लद्दाख	-	लेह
मध्य प्रदेश	खंडवा, राजगढ़, विदिशा, सिंगरौली	मंडला, शहडोल, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, रतलाम, खंडवा (पूर्वी निमाड़)
महाराष्ट्र	नंदुरबार	नंदुरबार
मणिपुर	-	चुराचांदपुर
मेघालय	-	वेस्ट गारो हिल्स
मिजोरम	-	आइजोल
नागालैंड	-	मोन, कोहिमा
ओडिशा	बलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट	मयूरभंज, कोरापुट, कालाहांडी
राजस्थान	बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, सिरोही	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, दौसा
सिक्किम	-	पूर्वी जिला
तमिलनाडु	रामनाथपुरम, विरुधुनगर	-
उत्तर प्रदेश	बहराइच, चंदौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र	-
उत्तराखंड	हरिद्वार, उधम सिंह नगर	-

<u>अनुबंध</u> - III

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**ब.अ. (कुल)**	**ब.अ. (योजना)**	**ब.अ. (योजना) के अनुसार डीएपीएससी आवंटन**	**सं.अ. (योजना) के अनुसार डीएपीएससी आवंटन**	**डी.ए.पी.एस.सी. के अंतर्गत आवंटन (%)**	**डीएपीएससी के तहत व्यय**
2020-21	65012	49600	8300	7643	16.7	7845.19
2021-22	71269	53544	8938	10759	16.7	8005.95
2022-23	83000	62797	10424	9298	16.6	8862.22
2023-24	86175	56168	9324	7965	16.6	8041.64
2024-25	87657	55169	9158	8927	16.6	8537.72

<u>अनुबंध</u> **- IV**

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**ब.अ. (कुल)**	**ब.अ. (योजना)**	**ब.अ. (योजना) के अनुसार डीएपीएसटी आवंटन**	**सं.अ. (योजना) के अनुसार डीएपीएसटी आवंटन**	**डी.ए.पी.एस.टी. के अंतर्गत आवंटन (%)**	**डीएपीएसटी के अंतर्गत व्यय**
2020-21	65012	49600	4300	4004	8.7	4097.66
2021-22	71269	53544	4634	5574	8.7	4262.70
2022-23	83000	62797	5401	4924	8.6	4741.21
2023-24	86175	56168	4830	4126	8.6	4134.07
2024-25	87657	55169	4745	4625	8.6	4431.02

*****